सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 328 राँची, सोमवार, 6 अप्रैल, 2026 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

26 फरवरी, 2026

संख्या 13/ने. 06-06/2025: 702-- दिनांक-26.02.2026 '**भारत के संविधान**' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य, उप-प्राचार्य, सह-अध्यापक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/ सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त को विनियमित करने हेतु निम्नांकित नियमावली गठित करते है:-

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

(i) यह **नियमावली, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2026** कही जायेगी।

(ii) इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्यान्तर्गत होगा।

(iii) यह नियमावली अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

अध्याय-2

2.परिभाषाएँ:- जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस नियमावली में -

(i) "**सरकार**" से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार।

(ii) "**निदेशक**" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक।

(iii) "**झारखण्ड लोक सेवा आयोग**" से अभिप्रेत है, संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति में राज्य सरकार को यथाविहित रीति से अनुशंसा करने वाला संवैधानिक निकाय।

(iv) "**झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग**" से अभिप्रेत है, विधि के अन्तर्गत अराजपत्रित पदाधिकारियों/कार्मिकों (समूह-"ख" अराजपत्रित एवं समूह-"ग") की नियुक्ति में राज्य सरकार को यथाविहित रीति से अनुशंसा करने वाला वैधानिक निकाय।

(v) "**सक्षम प्राधिकार**" से अभिप्रेत है, नियमावली के संगत प्रावधान अंतर्गत उल्लिखित सक्षम प्राधिकार।

(vi) "**प्राचार्य**" से अभिप्रेत है, नियमावली के विहित प्रावधान अंतर्गत विद्यालय प्रधान के रूप में नियुक्त व्यक्ति।

(vii) "**उप प्राचार्य**" से अभिप्रेत है, नियमावली के विहित प्रावधान अंतर्गत विद्यालय के उप-प्रधान के रूप में नियुक्त व्यक्ति।

(viii) "**सह-अध्यापक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित**" से अभिप्रेत है, नियमावली के विहित प्रावधान अंतर्गत विद्यालय में सह-अध्यापक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति की योग्यता एवं अर्हत्ता धारण करने एवं मुख्यतः वर्ग-09 से वर्ग-12 तक के शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति।

(ix) "**सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित**" से अभिप्रेत है, नियमावली के विहित प्रावधान अंतर्गत विद्यालय में सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति की योग्यता एवं अर्हत्ता धारण करने एवं मुख्यतः वर्ग-06 से वर्ग-08 तक के शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति।

(x) "**शिक्षकेत्तर कर्मचारी**" से अभिप्रेत है, नियमावली के विहित प्रावधान अंतर्गत शिक्षकों को छोड़ कर विद्यालय में नियुक्त अन्य सभी पूर्णकालिक कर्मचारी।

(xi) "**प्रशासक समिति**" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा गठित/पुनर्गठित समिति/निकाय।

(xii) "**परीक्ष्यमान**" से अभिप्रेत है, मौलिक रिक्ति में किसी खास अवधि के लिए परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त प्राचार्य, सह-अध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी।

(xiii) "**सरकार के सचिव**" से अभिप्रेत है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव।

(xiv) "**क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक**" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रमण्डलीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।

(xv) "**जिला शिक्षा पदाधिकारी**" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।

(xvi) "**प्रशिक्षण**" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) में प्रावधानित प्रशिक्षण डिग्री।

(xvii) "**मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान**" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण के संबंधित सत्र के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में संबंधित राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान।

(xviii) "**प्रशासी पदाधिकारी**" से अभिप्रेत है, नियमावली के विहित प्रावधान अंतर्गत विद्यालय के प्रशासी पदाधिकारी के रूप में नियुक्त/पदस्थापित/प्रतिनियुक्त व्यक्ति।

अध्याय-3

3. नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में पदों की श्रेणियाँ निम्नांकित होंगी। राज्य सरकार द्वारा पदनाम अथवा उसके विषय के नाम में अपेक्षित/आवश्यक परिवर्त्तन किया जा सकेगा तथा आवश्यकता/नामांकन अनुसार अतिरिक्त पद भी सृजित किए जा सकेंगे-

	पदनाम	कोटि/पदों की संख्या	वेतनमान
(क)	प्राचार्य, (झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा)	समूह "क" (मूल कोटि) -01	वेतनमान् रु 37400-67000, ग्रेड-पे 8700 (लेवल-13)
(ख)	उप प्राचार्य, (झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा)	समूह "क" (मूल कोटि) -01	वेतनमान् रु 15600-39100, ग्रेड-पे 7600 (लेवल-12)

(ग)	सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (वर्ग-09 से 12) (झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा-34)	समूह "क" (मूल कोटि) - (संस्कृत-1, हिन्दी-2, अंग्रेजी-5, संथाली-1, रसायन शास्त्र-3, भौतिकी-3, जीव विज्ञान-3, गणित-3, कम्प्यूटर विज्ञान (आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग-2 तथा डेटा साइन्स एवं साईबर सिक्यूरिटी -2 सहित) - 6, भूगोल-1, इतिहास-1, राजनीति विज्ञान-1, अर्थशास्त्र-1, वाणिज्य-1, विशेष शिक्षा-1 एवं शारीरिक शिक्षा-1) - 34	वेतनमान् रु 15600-39100, ग्रेड-पे 5400 (लेवल-10)/ *After next 10years satisfactory service* वेतनमान् रु 15600 -39100, ग्रेड-पे 6600 (लेवल-11)/ *After next 10years satisfactory service* वेतनमान् रु 15600-39100, ग्रेड-पे 7600 (लेवल-12)
(घ)	सह-अध्यापक, स्नातक प्रशिक्षित (वर्ग-06 से 08) (झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा-25)	समूह "ख" (मूल कोटि) - (संस्कृत-1, हिन्दी-1, अंग्रेजी-3, संथाली-1, हो-1, कुडुख-1, कुरमाली-1, रसायन शास्त्र-1, भौतिकी-1, जीव विज्ञान-1, गणित-3, कम्प्यूटर विज्ञान (आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग-2 तथा डेटा साइन्स एवं साईबर सिक्यूरिटी-2 सहित)-6, भूगोल-1, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र-1, संगीत शिक्षक -1 एवं विशेष शिक्षा- 1) - 25	वेतनमान् रु 9300-34800, ग्रेड-पे 5400 (लेवल-09)/*After next 10 years satisfactory service* वेतनमान् रु 15600 - 39100, ग्रेड-पे 5400 (लेवल-10)/*After next 10years satisfactory service* वेतनमान् रु 15600-39100, ग्रेड-पे 6600 (लेवल-11)
(ड.)	चिकित्सा पदाधिकारी (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से पदस्थापन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	समूह "ख" (मूल कोटि) - 01	संबंधित विभाग के अनुसार जो लागू हो।

(च)	प्रशासी पदाधिकारी (सीधी नियुक्ति/ प्रशासी विभाग द्वारा पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	समूह "ख" (मूल कोटि) - 01	वेतनमान् रु. 9300-34800, ग्रेड-पे 5400 (लेवल-9)
(छ)	शिक्षकेत्तर कर्मी-36 (सीधी नियुक्ति/ पदस्थापन/बाह्य स्रोत द्वारा)	(i) समूह "ग" (मूल कोटि) - अनुदेशक (शारीरिक शिक्षा-01, संगीत (नृत्य)-01, कृषि-01 एवं कम्प्यूटर शिक्षा-01) -04, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष-02, वार्डन-02, प्रयोगशाला प्रदर्शक (भौतिकी-2, रसायन-02, जीव विज्ञान-02, कम्प्यूटर विज्ञान-06) - 12, प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल-01) -21	वेतनमान् रु. 9300-34800, ग्रेड-पे 4200 (लेवल-6) (झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा)
		(ii) समूह "ग" (मूल कोटि) पाकशाला प्रबंधक-01	वेतनमान् रु. 5200-20200, ग्रेड-पे 2400 (लेवल-4) (झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा)
		(iii) समूह "ग" (मूल कोटि)- (भंडारी-3,, आशुटंकक-1, रोकड़पाल-1 लिपिक-3, लेखालिपिक-2, टंकक तथा पत्राचार लिपिक-2) - 12	वेतनमान् रु. 5200-20200, ग्रेड-पे 1900 (लेवल-2) (झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति द्वारा)
		(iv) समूह "ग" (मूल कोटि) (जीप चालक) - 02	वेतनमान् रु. 5200-20200, ग्रेड-पे 1900 (लेवल-2)/ बाह्य स्रोत (Out Sourcing) से निविदा के आधार पर।
(ज)	समूह "घ" (मूल कोटि) (बिजली मिस्त्री-02, प्लंबर-02, दफ्तरी-05 रसोईया-21, माली-10, आदेशपाल-14, चैकीदार/दरवान-8, आश्रम सेवक-07, रसोईया मजदूर-03 स्वीपर-06, पुस्तकालय सेवक-07 तथा प्रयोगशाला रक्षक-07) - 92		बाह्य स्रोत (Out Sourcing) से निविदा के आधार पर।

अध्याय-4

4. संवर्ग एवं नियोक्ता -

(क)(i) इस विद्यालय के प्राचार्य, उप प्राचार्य, सह-अध्यापक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित एवं प्रशासी पदाधिकारी का संवर्ग राज्य-स्तरीय होगा, तथा इनके नियोक्ता राज्य सरकार होगी।

(ii) प्रशासी पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी के पद को मुख्यतः राज्य शिक्षा सेवा, समूह-"ख" तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी, समूह-"ख" के पदाधिकारी से मूल विभाग द्वारा पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में पदस्थापन के रूप में अधिकतम् 01 बार में 03 वर्षों की अवधि के लिए भरा जाएगा।

(ख)(i) इस विद्यालय के समूह-"ग" के शिक्षकेत्तर कर्मियों का संवर्ग विद्यालय स्तरीय होगा। इनकी नियुक्ति विद्यालयस्तरीय स्थापना समिति के सदस्य सचिव, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय द्वारा की जाएगी।

(ii) समूह-"घ" के सभी पदों पर बाह्य स्रोत से कर्मियों की सेवा, विद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा प्राप्त की जाएगी।

<u>अध्याय-5</u>

5. (क) योग्यता/अर्हता एवं नियुक्ति की प्रक्रिया-

(A) प्राचार्य एवं उप प्राचार्य पद - इस नियमावली के नियम-3 (क) एवं (ख) में उल्लेखित प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी, जिनके द्वारा नियुक्ति की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हत्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे-

"(i) सीधी नियुक्ति की अर्हत्ता एवं नियुक्ति की प्रक्रिया-

(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के समरूप निम्नांकित होगी:-

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में कम से कम

60 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ए.एड./बी.एससी.एड.।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.।

(ii) आयु सीमा -

जिस पंचांग वर्ष में प्राचार्य अथवा उप प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति के लिये अधिचायना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जायेगी, उस अधिचायना वर्ष की 1ली अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम् आयु 30 वर्ष तथा अधिकतम् आयु 45 वर्षो की होगी।

वर्त्तमान में कार्यरत, प्राचार्य/उप प्राचार्य, जिनके अनुबंध की अवधि शेष है, को उपबंधित अधिकतम् उम्र सीमा के सापेक्ष उनके द्वारा अनुबंध के आधार पर दी गयी कुल सेवा अवधि के अतिरिक्त और 10 वर्ष जोड़ते हुए उन्हें अधिकतम् उम्र सीमा की छूट संबंधित पद के विरुद्ध नयी नियुक्ति हेतु आवेदन के क्रम में केवल प्रथम संव्यवहार में दी जा सकती है।

(iii) प्राप्त आवेदन पत्र में से अहर्त्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जो निम्नवत् होगी-

प्रश्न-पत्र	**पूर्णांक**
(a) (क) प्रश्नपत्र (1)- सामान्य ज्ञान एवं अंग्रेजी	- 200
अंक	
भाषा ज्ञान की परीक्षा (200 प्रश्नों की)।	
(ख) प्रश्न पत्र (2)- विषय, जिसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित	- 450
अंक	
शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है (200 प्रश्नों की)।	
(ग) प्रश्न पत्र (3)- कम्प्यूटर ज्ञान एवं मानसिक	- 250
अंक	
अभिरुचि ज्ञान की परीक्षा (200 प्रश्नों की)।	

(b) उक्त तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) एवं (3) स्नातक स्तरीय तथा प्रश्न पत्र (2) **स्नातकोत्तर स्तर** का होगा। सभी प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(c) प्रश्न पत्र (1) एवं (3) में प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 (0.25) ऋणात्मक अंक तथा प्रश्न पत्र (2) में प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 (0.33) ऋणात्मक अंक देय होंगे।

(d) प्रश्न पत्र (1), (2) एवं (3) में, प्रत्येक में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम् 40 प्रतिषत अंक लाना अनिवार्य होगा। परंतु मेधा सूची में स्थान पाने हेतु तीनों प्रश्न पत्रों के योग के रूप में न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र (1), (2) एवं (3) के प्राप्तांक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।

(e) अंतर्वीक्षा -

प्रकाशित रिक्तियों के दस गुणा अभ्यर्थियों को 100 अंकों की अंतर्वीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतर्वीक्षा में न्यूनतम् 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। जांच परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अंतर्वीक्षा में प्राप्त अंक के योग के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम् 02 गुणा अभ्यर्थियों की गुणागुण सूची तैयार की जाएगी। यह सूची प्राचार्य अथवा उप प्राचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगी, किन्तु कोई भी नियुक्ति सशर्त्त होगी कि संबंधित पद पर, परिवीक्षाधीन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने सहित कम से कम 05 वर्षों की न्यूनतम् सेवा पूर्ण करनी होगी। सूची से नियुक्ति एवं पदस्थापन के पश्चात् यह सूची एक माह में स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(f) मेधासूची -

मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातकोत्तर योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातकोत्तर योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा।

(IV) अनुभवः-

(क) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक/उप प्राचार्य/प्राचार्य के रूप में अद्यतन कार्यरत हों तथा

(ख) नियुक्त विषय में एक या अधिक विद्यालयों में न्यूनतम् परंतु व्यवधान रहित/लगातार 12 वर्षो का शिक्षण अनुभव, जिसमें आवासीय +2 विद्यालय में आश्रमाध्यक्ष/वार्डेन/उप प्राचार्य/प्राचार्य के रूप में न्यूनतम् (समेकित) 02 वर्षो का कार्यानुभव वांछित, परंतु अनिवार्य नहीं होगा एवं जो 12 वर्षों की लगातार सेवा अवधि में सम्मिलित होगी।

(V) वांछित योग्यता:-

कम्प्यूटर संचालन एवं ए.आई./रोबोटिक्स/कम्प्यूटर की कार्यकारी जानकारी।

(VI) अन्य शर्तें:-

आवासीय विद्यालय में कार्य करना है। अतः वैसे ही अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं, जो विद्यालय की आवासीय व्यवस्था के तहत् विद्यालय में आवासित रहकर ही पठन-पाठन करने को तैयार हैं।

(B) सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित:-

इस नियमावली के नियम-3 (ग) में उल्लेखित सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु राज्यस्तरीय आरक्षण प्रावधान/रोस्टर के अनुरूप कोटिवार पदों की सूचना के रूप में सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जायेगी, जिनके द्वारा नियुक्ति की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हत्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे-

"(I) (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के समरूप निम्नांकित होगी:-

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर (नियुक्ति के विषय में ही 03 वर्षीय स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने

वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर (नियुक्ति के विषय में ही 03 वर्षीय स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर (नियुक्ति के विषय में ही 03 अथवा 04 वर्षीय स्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की पढ़ाई सभी 03 अथवा 04 वर्षों में की गई हो) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ए.एड./बी.एससी.एड.।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के नेतरहाट विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर (नियुक्ति के विषय में ही 03 वर्षीय स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम् 05 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमान्य होगी।"

(ग) (i) **सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (कम्प्यूटर विज्ञान) (आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग2 तथा डेटा साइन्स एवं साईबर सिक्यूरिटी -2 सहित) -6 पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित योग्यता अनिवार्य होगी -**

1. M.Sc. (Computer Science/IT) MCA (Regular) from Recognized University with at least 55% marks

अथवा

M.E. or M.Tech. (Computer Science/I.T.) from a Recognized University/Institution with at least 55 marks.

अथवा

B.E. or B.Tech. (Computer Science/ I.T.) from a Recognized University/Institution with at least 55% marks with Post Graduate Diploma in Computer Application or B or C Level Diploma from DOEACC, Ministy of Communication & I.T.

2. B.Ed. Degree from NCTE, Recognized Institution/ University with at least 50% marks.

अथवा

Three Years integrated B.Ed.-M.Ed. from NCTE, Recognized Institution/ University with at least 50% Marks

अथवा

Foru Years integrated Degree with at least 55% marks from NCTE, Recognized Institution/ University including B.Ed. component.

(ii) **सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (शारीरिक शिक्षा) पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित योग्यता अनिवार्य होगी -**

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) या शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.ई.) या स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में विज्ञान स्नातक (बी.एस.सी.) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 55 प्रतिषत अंकों सहित स्पोर्टस में डिग्री।

या

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2007 (10 दिसम्बर 2007 को अधिसूचित) के अनुसार बी.पी.एड. डिग्री/बी.पी.एड. (एकीकृत) चार वर्ष की व्यावसायिक डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक।

या

कम से कम 55 प्रतिषत अंकों सहित बी.पी.एड. अथवा दिनांक 13 नवम्बर, 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन जमा कराने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम की मान्यता हेतु मानदण्ड तथा मानक का निर्धारण तथा नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार कम से कम 50 प्रतिषत अंकों सहित तीन वर्षीय बी.पी.ई. (अथवा इसके समतुल्य) कोर्स।

तथा

राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कम से कम दो वर्ष की अवधि का एम.पी.एड.।

(iii) **सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (विशेष शिक्षा) पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित योग्यता अनिवार्य होगी -**

1. किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि **(Masters Degree from recognized university.)।**

2. बी.एड. (विशेष शिक्षा) (B.Ed. (Special Education)।

अथवा

बी.एड. (सामान्य शिक्षा) के साथ विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा **(B.Ed. (General Education) with one year Diploma in Special Education or two years Diploma in Special Education or Post Graduate Professional Diploma in Special Education)।**

अथवा

बी.एड. (सामान्य शिक्षा) और विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रमाण-पत्र B.Ed. **((General Education)and Post Graduate Professional Certificate in Special Education.)।**

अथवा

विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा **(PG Diploma in Special Education (Mental Retardation)**।

अथवा

विशेष शिक्षा (बहु विकलांगता: शारीरिक एवं तंत्रिका) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा **(PG Diploma in Special Education (Multiple Disability: Physical and Neurological)**।

अथवा

विशेष शिक्षा में (गतिशीलता में हानि और दिमागी पक्षाघात) स्नातकोत्तर डिप्लोमा **(PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy))**।

अथवा

श्रवण हानि में सेकेण्डरी स्तर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम **(Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment)**।

अथवा

बधिर शिक्षण में वरिष्ठ डिप्लोमा **(Senior Diploma in Teaching the deaf)**

अथवा

श्रवण हानि में बी.ए. बी.एड. **(BA, B.Ed. in visual Impairment)**।

3. **भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई.) के साथ पंजीकरण (Registration with Rehabilitation Council of India (RCI))**।

(ii) "इस नियमावली के नियम 3 (ग) में अंकित सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल, झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अपने बेवसाईट पर एवं समाचार पत्र में विधिवत् सूचना का प्रकाशन करते हुए निर्धारितसमय-सीमा के

अनुसार समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी जा सकेगी।"

(C) सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित :- इस नियमावली के नियम-3 (घ) में उल्लेखित सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु राज्यस्तरीय आरक्षण प्रावधान/रोस्टर के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जायेगी, जिनके द्वारा नियुक्ति की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे-

"(I) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35वाँ) के खण्ड-23 के उप-खण्ड *(i)*के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गयी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की दिनांक 23.08.2010 की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम् अर्हताओं तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापकों तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के समरूप निम्नांकित होगी:-

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक हेतु अधिसूचित विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक (नियुक्ति के विषय में 03 वर्षीय स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)।

अथवा

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक हेतु अधिसूचित विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक (नियुक्ति के विषय में 03 वर्षीय स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो

तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक हेतु अधिसूचित विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक (नियुक्ति के विषय में 03 वर्षीय स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक हेतु अधिसूचित विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक (नियुक्ति के विषय में 03 अथवा 04 वर्षीय स्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की पढ़ाई सभी 03 अथवा 04 वर्षों में की गई हो) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक हेतु अधिसूचित विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातक (नियुक्ति के विषय में 03 वर्षीय स्नातक, जिसमें संबंधित विषय की तीनों वर्षों में पढ़ाई की गई हो तथा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित) तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.।

एवं

झारखण्ड सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा आयोजित संबंधित विषय अनुरूप शिक्षक पात्रता परीक्षा, वर्ग- 06-08, न्यूनतम् 60 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण योग्यताधारी।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों में अधिकतम् 05 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमान्य होगी।"

(ग) (i) **स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक (कम्प्यूटर विज्ञान) (आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग-2 तथा डेटा साइन्स एवं साईबर सिक्यूरिटी -2 सहित) -6 पद पर नियुक्ति हेतु -**

1. BE/B. Tech-Computer Science/Computer Engineering/Information Technology / Electronics/Electronics & Communications or Equivalent.

OR

MCA/M.Sc./Computer Science/Information Technology/Masters in IT or Equivalent.

OR

M.Sc. (Mathematics) and B.Sc. (Computer Science) or BCA or Equivalent.

OR

Post Graduate degree in Mathematics or Physics or Statistics and 3 year Diploma in Computer Engineering/IT from and institution recognized by the AICTE/University.

OR

Post Graduate degree in Mathematics or Physics or Statistics and at least Post Graduate Diploma in Computer Application

from an institution recognized by the AICTE/University or equivalent.

OR

B'level certificate from DOEACC

AND

2. Graduate with Bachelor of Education (B.Ed.) from NCTE recognized institute.

WITH

3. CTET Class VI-VIII of JTET Class VI-VIII passed with 60% marks.

अर्थात्, न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी महाविद्यालय (विश्वविद्यालय) से B.E./B.Tech उत्तीर्ण अथवा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में समरूप अंकों/ग्रेड के साथ M.Sc./M.C.A.उत्तीर्ण की योग्यता तथा B.Ed. प्रशिक्षण की योग्यता एवं CTET Class VI-VIII or JTET Class VI-VIII,60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की योग्यता अनिवार्य होगी।

(ii) **स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक (विशेष शिक्षा) पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित योग्यता अनिवार्य होगी -**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि **(Graduation Degree from recognized university)।**

2. **बी.एड. (विशेषशिक्षा) (B.Ed. (Special Education))।**

अथवा

बी.एड. (सामान्य शिक्षा) के साथ विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा **(B.Ed. (General Education)with one year Diploma in Special Education or two years Diploma in**

Special Education or Post Graduate Professional Diploma in Special Education.)।

अथवा

बी.एड. (सामान्य शिक्षा) और विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रमाण-पत्र **B.Ed. ((Genral Education) and Post Graduate Professional Certificate in Sepcial Education.)** ।

अथवा

विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा **(PG Diploma in Special Education (Mental Retardation))।**

अथवा

विशेष शिक्षा (बहु विकलांगता: शारीरिक एवं तंत्रिका) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा **(PG Diploma in Special Education (Multiple Disability : Physical and Neurological)।**

अथवा

विशेष शिक्षा में (गतिशीलता में हानि और दिमागी पक्षाघात) स्नातकोत्तर डिप्लोमा **(PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy))** ।

अथवा

श्रवण हानि में सेकेण्डरी स्तर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम **(Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment)** ।

अथवा

बधिर शिक्षण में वरिष्ठ डिप्लोमा **(Senior Diplomain Teaching the Deaf)** ।

अथवा

श्रवण हानि में बी.ए. बी.एड. **(BA B.Ed. in visual Impairment)** ।

3. भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई.) के साथ पंजीकरण **(Registration with Rehabilitation Council of India (RCI))** ।

4. **Passed CTET (Paper-II Upper Primary Level) with 60% marks conducted by Central Goverment or passed JTET (Class VI to VIII) with 60% marks condctecd by State of Jharkhand.**

(iii) **स्नातक प्रशिक्षित अध्यापक (संगीत)** पद पर नियुक्ति हेतु कला/विज्ञान/वाणिज्य में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण तथा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ संगीत में स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण की अनिवार्य योग्यता, यथा- प्राचीन कला केन्द्र, चंडीगढ़ से न्यूनतम् 300 पूर्णांक, पंचम वर्ष, संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से न्यूनतम् 500 पूर्णांक, षष्ठम् वर्ष संगीत प्रभाकर उत्तीर्ण की न्यूनतम् 55 प्रतिशत प्राप्तांक की योग्यता एवं सक्षम स्तर का **CTET/JTET,** न्यूनतम् 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की योग्यता अनिवार्य होगी।

5. (ख) प्रतियोगिता परीक्षा एवं मेधा सूची -

(i) सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/ सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र में से अहर्त्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के स्तर के अनुरूप अलग-अलग जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो निम्नवत् होगी:-

(a) (क) प्रश्न पत्र (1)- सामान्य ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान की परीक्षा (200 प्रश्नों की)। - 200 अंक

(ख) प्रश्न पत्र (2)- सह-अध्यापक,स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के रूप में नियुक्ति का विषय (200 प्रश्नों की)। - 400 अंक

अथवा

प्रश्न पत्र (2)- सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित के रूप में नियुक्ति का विषय (200 प्रश्नों की)। - 400 अंक

(ग) प्रश्न पत्र (3)- कम्प्यूटर ज्ञान एवं मानसिक अभिरुचि ज्ञान की परीक्षा(200 प्रश्नों की)। - 200 अंक

(b) उक्त तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति हेतु प्रश्न पत्र (1) एवं (3), समान एवं स्नातक स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र (2), की नियुक्ति के स्तर - **स्नातकोत्तर अथवा स्नातक स्तर** का होगा। सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(ब) प्रश्न पत्र (1) एवं (3) में प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 (0.25) ऋणात्मक अंक तथा प्रश्न पत्र (2) में प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/3 (0.33) ऋणात्मक अंक देय होंगे।

(d) प्रश्न पत्र (1), (2) एवं (3) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति हेतु अलग-अलग मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि प्रश्न पत्र (1), (2) एवं (3) में योग के रूप में न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।

(e) **अंतर्वीक्षा -**

सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित रिक्तियों के दस गुणा अभ्यर्थियों को 50 अंकों की अंतर्वीक्षा हेतु अलग-अलग आमंत्रित किया जाएगा तथा जांच परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अंतर्वीक्षा में प्राप्त अंक के योग के आधार पर प्रत्येक विषय एवं कोटि के अनुरूप अधिकतम् 1.50 गुणा अभ्यर्थियों की गुणागुण सूची तैयार की जाएगी।

(ii) **मेधा सूची -**

यह सूची सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति का आधार होगी, किन्तु कोई भी नियुक्ति सशर्त्त होगी कि संबंधित पद पर परिवीक्षाधीन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने सहित कम से कम 05 वर्षों की न्यूनतम् सेवा पूर्ण करनी होगी। नियुक्ति एवं पदस्थापन के पश्चात् यह सूची एक माह मेंस्वतः समाप्त हो जाएगी।

मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान *(equal marks)* रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातकोत्तर योग्यता/स्नातक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातकोत्तर योग्यता परीक्षा/स्नातक योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा।

(iii) **आयुः-**

सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिस पंचांग वर्ष में अधिचायना आयोग को भेजी जाएगी, उस वर्ष की 1ली अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम् आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम् आयु सीमा 35 वर्षो की होगी। परन्तु यह कि आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग/विकलांग को तद्नुरूप आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा, जो निम्नांकित है:-

क्र.	**कोटि**	**अधिकतम आयु सीमा**	**विकलांगो के लिए**
1.	अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष	45 वर्ष
2.	पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) (महिला))	38 वर्ष	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष/ महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

वर्त्तमान में कार्यरत, सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित, जिनके अनुबंध की अवधि शेष है, को उनकी आरक्षण कोटि के अंतर्गत उपबंधित अधिकतम् उम्र सीमा के सापेक्ष उनके द्वारा अनुबंध के आधार पर दी गयी कुल सेवा अवधि के अतिरिक्त और 10 वर्ष जोड़ते हुए उन्हें अधिकतम् उम्र सीमा की छूट, संबंधित पद के विरुद्ध नयी नियुक्ति हेतु आवेदन के क्रम में दी जा सकती है, जो केवल प्रथम संव्यवहार के लिए होगी।

(iv) **राज्यस्तरीय स्थापना समिति** - आयोग से प्राप्त मेधा सूची के आधार पर प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक, जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्रों की जाँच करते हुए रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु राज्यस्तरीय स्थापना समिति होगी, जिसके निर्णय के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा-सह-सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय स्थापना समिति नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे। राज्यस्तरीय स्थापना समिति ही नियुक्त प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित

पद/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर प्रोन्नति, वेतनमान् उत्क्रमण अनुशासनिक कार्रवाई एवं अन्य समरूप मामले में निर्णय हेतु अधिकृत होगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे -

(i)	सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राधिकृत अपर सचिव अथवा समकक्ष पदाधिकारी	-	पदेन अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	-	पदेन सदस्य सचिव
(ii)	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (विषय प्रभारी)	-	पदेन सदस्य
(iii)	वरीयतम क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक	-	पदेन सदस्य
(iv)	विभागीय सचिव द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति /जन जाति का एक राजपत्रित पदाधिकारी	-	सदस्य
(v)	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के मनोनीत पदाधिकारी	-	सदस्य

(v) **<u>नियुक्ति की प्रक्रिया</u>**

(i) प्राचार्य, उप-प्राचार्य, सह-अध्यापक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित एवं समूह-ग (मूल कोटि) की नियुक्ति में आरक्षण संबंधी राज्य सरकार की अद्यतन नीति प्रभावी होगी।

(ii) प्राचार्य, उप-प्राचार्य, सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित एवं समूह-ग (मूल कोटि) पदों पर नियुक्ति तिथि से 02 वर्षों की परिवीक्षाधीन अवधि/सेवा होगी। प्राचार्य, उप-प्राचार्य, सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित पद पर सफलतापूर्वक परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण करने के उपरांत सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची का आदेश प्राप्त कर सेवा संपुष्ट की जाएगी तथा समूह-ग (मूल कोटि) पदों पर सफलतापूर्वक परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण करने के उपरांत विद्यालयस्तरीय स्थापना समिति के सदस्य सचिव, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय द्वारा सेवा सेवा संपुष्ट की जाएगी।

(iii) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में पूर्व से नियुक्त व्यक्ति के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन संरक्षण की सुविधा प्रदान की जायेगी। नियुक्ति के उपरांत सेवाकाल में अनुमान्य नियमानुकूल वेतनमान् की सुविधा देय होगी।

(iv) **कर्त्तव्य -**

सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित/सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित हेतु विषय का शिक्षण कार्य एवं पब्लिक स्कूल के शिक्षकों द्वारा संपादित किये जाने वाले अन्य सभी शैक्षणिक तथा सह-शैक्षणिक कार्यो, यथा - संगीत, नृत्य, वादन, गायन, खेल-कूद, एन.सी.सी., पी.टी., गाईडिंग, शारीरिक व्यायाम, योगाभ्यास, नाटक, वाद-विवाद, शैक्षणिक परिभ्रमण, आदि में से कम से कम दो में सक्रिय रूप से भाग लेना तथा प्राचार्य द्वारा समय-समय पर सौंपे गए सभी कार्यो को कुशलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

अध्याय-6

6. **शिक्षकेत्तर कर्मी (समूह-ग) -**

(क) समूह-ग (मूल कोटि) के शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा एतदर्थ समय-समय पर निर्गत आदेशों/निदेशों/संकल्पों के आधार पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से की जाएगी। समूह-ग (मूल कोटि) के शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियुक्ति प्राधिकार प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय होंगे।

(ख) नियुक्ति की पद अनुसार न्यूनतम् योग्यता निम्नांकित होगी-

(i) **अनुदेशक -**

(a) **शारीरिक शिक्षा अनुदेशक** -

अनिवार्य योग्यता -

कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं शारीरिक शिक्षा में 02 वर्षीय डिग्री अथवा डिप्लोमा।

(b) **संगीत (नृत्य) अनुदेशक** -

अनिवार्य योग्यता -

इंटरमीडिएट तथा भरतनाट्यम् या कत्थक में से किन्हीं एक में न्यूनतम् 04 वर्षो के पाठ्यक्रम का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्णता की डिग्री या डिप्लोमा अथवा बी.ए. संगीत (नृत्य सहित)।

(c) **कृषि अनुदेशक -**

अनिवार्य योग्यता - 55 प्रतिशत अंकों के साथ बी.एस.सी. में कृषि विषय सहित।

(d) **कम्प्यूटर शिक्षा अनुदेशक** -

अनिवार्य योग्यता-

कम्प्यूटर शिक्षा अनुदेशक पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी महाविद्यालय (विश्वविद्यालय) से B.E/B.Tech उत्तीर्ण अथवा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में M.Sc./M.C.A./B.Sc./B.C.A. उत्तीर्ण की अनिवार्य योग्यता आवश्यक होगी। उन्हें वर्ग-06 से वर्ग-12 तक कम्प्यूटर शिक्षा हेतु प्रयुक्त आवश्यक हार्डवेयर/साफ्टवेयर के संचालन में सक्षम/प्रवीण होना चाहिए।

वांछित योग्यता-

हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में कम्प्यूटर संचालन/प्रयोग की जानकारी प्रदान किये जाने की योग्यता तथा इससे संबंधित प्रमाण पत्र अपेक्षित।

(ii) **सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष** -

अनिवार्य योग्यता-

न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से *Library Science* में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण।

वांछित योग्यता-

हिन्दी एवं अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में संप्रेषण की क्षमता एवं लोकप्रिय कम्प्यूटर साफ्टवेयर की उपयोग/कार्यपरक जानकारी से संबंधित प्रमाण पत्र अपेक्षित।

(iii) **वार्डन** -

अनिवार्य योग्यता-

बी.ए., बी.एस.सी. अथवा बी.कॉम के साथ बी.एड./समतुल्य शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री अथवा डिप्लोमा।

वांछित योग्यता-

संगीत, कला, गाईड, खेल-कूद, योगाभ्यास, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में से किन्हीं दो में प्रशिक्षित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र अपेक्षित।

(iv) **प्रयोगशाला प्रदर्शक**

(भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान तथा कम्प्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला के लिए):

अनिवार्य योग्यता-

बी.एस.सी. द्वितीय श्रेणी 55 प्रतिशत अंकों के साथ। बी.एस.सी. में भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान में कोई दो विषय अनिवार्य, जिनमें नियुक्ति के विषय की मुख्य विषय के रूप में पढ़ाई कम से कम 03 वर्ष पूर्ण की गयी हो।

कम्प्यूटर विज्ञान के प्रयोगशाला प्रदर्शक हेतु न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी महाविद्यालय (विश्वविद्यालय) से B.E/B.Tech उत्तीर्ण अथवा UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में M.Sc./M.C.A./B.Sc./B.C.A. उत्तीर्ण में से कोई एक योग्यता अनिवार्य होगी।

वांछित योग्यता-

एन.सी.सी. तथा खेल-कूद में से किन्हीं एक में योग्यता प्रमाण पत्र अपेक्षित।

(v) **पाकशाला प्रबंधक -**

अनिवार्य योग्यता -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी अथवा पाक कला में डिग्री या डिप्लोमा।

वांछित योग्यता -

स्वच्छता मानकों, इन्वेंट्री प्रबंधन एवं वित्तीय रिपोर्टों को संभालने की क्षमता का ज्ञान एवं एम.एस. ऑफिस का कार्यसाधक ज्ञान।

(vi) **प्रधान लिपिक-सह-लेखापाल** -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, स्नातक कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ तथा हिन्दी एवं इंग्लिश में न्यूनतम् 45 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर टंकण का मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र धारण अपेक्षित।

(vii) **आशुटंकक (प्राचार्य हेतु) -**

अनिवार्य योग्यता -

न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंकों के साथ वाणिज्य/कला/विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण एवं हिन्दी तथा इंग्लिश में न्यूनतम् 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलेखन का मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र तथा हिन्दी तथा इंग्लिश में न्यूनतम् 45 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर टंकण का मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र धारण अपेक्षित।

वांछित योग्यता-

लोकप्रिय कम्प्यूटर साफ्टवेयर, एम.एस.ऑफिस, एक्सेल, पावर प्वाइंट का उपयोग/कार्यपरक जानकारी/प्रमाण पत्र अपेक्षित।

(viii) **भंडारी -**

अनिवार्य योग्यता -

न्यूनतम् 45 प्रतिशत अंकों के साथ कला/विज्ञान/वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण एवं लोकप्रिय कम्प्यूटर साफ्टवेयर, एम.एस.ऑफिस, एक्सेल, टैली का उपयोग/ कार्यपरक जानकारी/प्रमाण पत्र अपेक्षित।

(ix) **रोकड़पाल/लिपिक/लेखा लिपिक/टंकक/पत्राचार लिपिक-**

अनिवार्य योग्यता-

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा हिन्दी एवं इंग्लिश में कम से कम 45 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर टाईपिंग अनिवार्य अर्हत्ता होगी।

वांछित योग्यता-

कम्प्यूटर चालन एवं टाईपिंग के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान वांछित योग्यता होगी।

(x) समूह "ग" एवं "घ" के अन्य सभी स्वीकृत पद, जिनके संबंध में अनिवार्य योग्यता का उल्लेख नहीं किया जा रहा है, जो सीधी नियुक्ति/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति/ बाह्य स्रोत से सेवा लिये जाने हेतु निर्दिष्ट

हैं, उनकी वही अनिवार्य योग्यता होगी, जो राज्य सरकार द्वारा उस/समरूप पद हेतु सुसंगत नियमावली अन्तर्गत प्रावधानित है।

(ग) **आयु:**

शिक्षकेत्तर कर्मी, समूह "ग" पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिस पंचांग वर्ष में विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की 1ली अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम् आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम् आयु सीमा35 वर्षो की होगी। परन्तु यह कि आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग/विकलांग को तद्नुरूप आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा, जो निम्नांकित है:-

क्र.	**कोटि**	**अधिकतम आयु सीमा**	**विकलांगों के लिए**
1.	अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष	45 वर्ष
2.	पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) (महिला))	38 वर्ष	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष/ महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

वर्त्तमान में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मी, जिनके अनुबंध की अवधि शेष है, को उनकी आरक्षण कोटि के अंतर्गत उपबंधित अधिकतम् उम्र सीमा के सापेक्ष उनके द्वारा अनुबंध के आधार पर दी गयी कुल सेवा अवधि के अतिरिक्त और 10 वर्ष जोड़ते हुए उन्हें अधिकतम् उम्र सीमा की छूट संबंधित पद के विरुद्ध नयी नियुक्ति हेतु आवेदन के क्रम में प्रथम संव्यवहार में दी जा सकती है।

(घ) **विद्यालय स्तरीय स्थापना समिति**:-

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त मेधा सूची के आधार पर समूह "ग" (मूल कोटि) के शिक्षकेत्तर कर्मी, अभ्यर्थियों के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक, जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्रों की जाँच करते हुए रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु विद्यालयस्तरीय स्थापना समिति होगी, जिसके निर्णय के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे। विद्यालयस्तरीय स्थापना समिति ही उक्त नियुक्त

कर्मियों की प्रोन्नति, वेतनमान् उत्क्रमण अनुशासनिक कार्रवाई एवं अन्य समरूप मामले में निर्णय हेतु अधिकृत होगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे -

(i)	क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमण्डल, पलामू	-	अध्यक्ष
(ii)	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय सचिव	-	सदस्य
(iii)	उपायुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति जनजाति के एक राजपत्रित पदाधिकारी	-	सदस्य
(iv)	जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार	-	सदस्य

अध्याय-7

7. **शिक्षकेत्तर कर्मी (समूह-घ)** -

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत समूह (घ) के शिक्षकेत्तर कर्मियों यथा- जीप चालक, पलंबर, बिजली मिस्त्री, दफ्तरी, रसोईया, ट्रेजरी सरकार, माली, सिक रूम सेविका, आदेशपाल, चैकीदार/दरवान, रसोईया मजदूर, आश्रम सेविका, स्वीपर, पुस्तकालय सेविका एवं प्रयोगशाला रक्षक की आवश्यकता की पूर्ति बाह्य स्रोत के आधार पर की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा बाह्य स्रोत पर रखे जाने वाले कर्मियों हेतु जारी की गयी अद्यतन मार्गदर्शिका को दृष्टिपथ रखते हुए इन कर्मियों को रखे जाने हेतु विद्यालयस्तरीय स्थापनासमिति के अनुमोदन से आउटसोर्स/संविदा पर सेवा देने हेतु एजेंसी का चयन किया जायेगा तथा उसी के आधार पर इन कर्मियों को रखा जायेगा। इन कर्मियों पर इस नियमावली के अन्य कोई भी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

8. **अन्यान्य**

(i) इस नियमावली के अन्तर्गत होने वाली सभी प्रकार की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय सम्वर्ग में राज्यस्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मात्र झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा।

(ii) इस नियमावली के नियम में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सेवा संहिता, झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 (समय समय पर यथा संशोधित) एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सुसंगत प्रावधानों के तहत् किया जा सकेगा।

(iii) इस नियमावली के नियम- 3 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, कॉरनटाईन लीव, उपार्जित अवकाश, रूपांतरित अवकाश, अर्द्ध वैतनिक अवकाश, असाधारण अवकाश, झारखण्ड सेवा संहिता एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत परिपत्रों के तहत देय होगा। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों हेतु अवकाश स्वीकृति हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार ही इस नियमावली के तहत नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत कर सकेगी।

(iv) इस नियमावली के तहत नियुक्त प्राचार्य, उप-प्राचार्य, सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित, सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों (समूह-ग) की वेतन वृद्धि के वही नियम होंगे, जो झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेश में उल्लेखित हो।

(v) प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित की गोपनीय चरित्रपुस्ति निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा लिखी जायेगी। शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की चरित्र पुस्ति प्राचार्य द्वारा लिखी एवं संधारित की जायेगी, जबकि प्राचार्य द्वारा गोपनीय चरित्र पुस्ति में प्रतिकूल अभ्युक्ति अंकित किये जाने के पूर्व सुधार के लिए यथासंभव अवसर प्रदान किया जायेगा।

(vi) प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित का सेवा इतिहास महालेखाकार द्वारा संधारित किया जायेगा। शिक्षकेत्तर कर्मचारियों (समूह-ग) की सेवा पुस्ति विहित प्रपत्र में प्राचार्य द्वारा खोली एवं संधारित की जायेगी। प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में सेवा पुस्ति का सत्यापन किया जायेगा।

(vii) प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं सह-अध्यापक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित तथा सह-अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित, प्रशासी पदाधिकारी एवं महिला चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी के आकस्मिक सहित अन्य समरूप अवकाश सरकारी नियमों के आलोक में स्वीकृत एवं संधारित होंगे। उनका अर्जित एवं चिकित्सा अवकाश, महालेखाकार के अवकाश देयता प्रमाण-पत्र के आधार पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। शिक्षकेत्तर कर्मियों का आकस्मिक अवकाश एवं अर्जित अवकाश आदि प्राचार्य द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(9) **प्रकीर्ण**:-

i) नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026 के प्रावधान अंतर्गत गठित सामान्य निकाय, **नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2026** के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर,

उस कठिनाई को दूर करने के लिए समुचित स्पष्टीकरण/निर्णय ले सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या निर्णय, मूल संकल्प/इस अधिसूचना के अंग माने जायेंगे।

ii) उपर्युक्त स्पष्टीकरण/निर्णय को प्रसारित किए जाने हेतु सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग आदेश/स्पष्टीकरण निर्गत कर सकेंगे, जिसका अनुपालन करनाआवश्यक होगा।

(10) **निरसन एवं व्यावृति:-**

नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2026 के प्रभावी होने की तिथि से एतद्विषयक पूर्व में मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या- स स 01/न1-01/ 2010-08, दिनांक-04.02.2012 द्वारा अधिसूचित एवं झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में दिनांक-06.02.2012 को प्रकाशित **शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्त तथा अनुशासन नियमावली, 2011,**निरसित माने जाएंगे, परंतु ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित नियमावली द्वारा या उसके अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

(11) विभागीय संलेख ज्ञापांक 637 दिनांक 24.02.2026 के द्वारा **"नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2026"** के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 24.02.2026 को संपन्न बैठक में मद संख्या - 16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उमा शंकर सिंह,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 328 - 50